बाल यौन शोषण पर पुस्तिका

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

विषय-सूची

I.	प्रस्तावना	1
II.	बाल शोषण क्या है?	1
III.	बाल यौन शोषण क्या है?	2
IV.	बाल यौन शोषण को समझना	2
V.	बाल यौन शोषण के दुष्प्रभाव	2
VI.	बाल यौन शोषण के बारे में मिथक और तथ्य	4
VII.	पोक्सो क्या है?	5
VIII.	हमें पोक्सो (लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012) की आवश्यकता क्यों है?	6
IX.	पोक्सो के तहत अपराध और उसके लिए सजा के प्रावधान	7
X.	निम्न स्थितियों में इस तरह के अपराध की गंभीरता बढ़ जाती है	11
XI.	उकसाने और अपराध करने के प्रयास का क्या अर्थ है?	11
XII.	कहाँ रिपोर्ट करें	12
XIII.	विशेष अदालत के लिए बाल मित्र प्रक्रियाएं	14
XIV.	रोकथाम	14
XV.	हम क्या कर सकते हैं?	14
XVI.	कौन रिपोर्ट कर सकता है?	15
XVII.	बाल मित्र प्रक्रियाएं	15

बाल यौन शोषण एक दंडनीय अपराध है

I. प्रस्तावना:

राज्य विशेष रूप से, यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी नीति के निम्न सिद्धांत को निर्देशित करेगा कि "बच्चों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है तथा उन्हें स्वस्थ तरीके से स्वतंत्रता व सम्मानजनक स्थिति में विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाती हैं|" - ***अनुच्छेद 39 (च), राज्य की नीति के निदेशक तत्व***

बाल यौन शोषण एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है, जिससे केवल हमारा देश ही नहीं, संसार के कई अन्य देश भी जूझ रहे हैं| बाल शोषण सबसे हालिया मुद्दों में से एक है, जिसे संसार के कई संगठनों और संस्थानों ने संबोधित किया है| लेकिन जो बात भारत में बाल यौन शोषण को और भी घातक बनाती है, वह है – "न इसके बारे में किसी को बताना, न इस बारे में बोलना|"

हमारा समाज बहुत पारंपरिक समाज हैं, जहाँ इसकी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जिसके तहत बाल यौन शोषण के मुद्दे को कभी संबोधित नहीं किया गया, उस पर कभी बात नहीं की गई| बाल शोषण और उपेक्षा – विशेष रूप से यौन शोषण – दुनिया की सबसे गंभीर चिंताओं में से है| बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए काम करने वाले संगठनों के सामने हर साल बच्चों से संबंधित लाखों मामले आते हैं| समाज के साथ-साथ पीड़ित के परिजन, यहाँ तक कि स्वयं पीड़ित भी इस तरह के मुद्दों पर बात करना असहज महसूस करते हैं| सूचित न किये जाने के कारण अधिकांश मामले दर्ज नहीं किये जाते, जिससे अपराधी का साहस बढ़ जाता है और उसे अपराध दोहराने की हिम्मत मिलती है| यह सामाजिक वर्जना पीड़ित को और अधिक कमजोर बनाती है| बाल यौन शोषण को विभिन्न स्तरों पर निपटाया जाना चाहिए – सामाजिक, भावनात्मक, चिकित्सीय और कानूनी|

बाल यौन शोषण के कई नकारात्मक प्रभाव हैं, जो पीड़ित व्यक्ति और उसके परिवार को कई बार थोडे समय के लिए और अनेक मामलों में लंबी अवधि तक प्रभावित किये रहते हैं तथा शारीरिक और भावनात्मक रूप से उस बच्चे के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जिसका शोषण किया गया है|

II. बाल शोषण क्या है?

बच्चों के साथ की गई किसी भी प्रकार की हिंसा, दुर्व्यवहार और उपेक्षा को बाल शोषण कहा जाता है| बाल शोषण एक बच्चे के बुनियादी मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है और इसमें निम्न बातें शामिल हैं:

- शारीरिक शोषण
- यौन शोषण
- भावनात्मक शोषण
- उपेक्षा

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार *"बाल शोषण या दुराचार में शामिल है - शारीरिक और/या भावनात्मक दुर्व्यवहार, यौन शोषण, उपेक्षा या लापरवाहीपूर्ण व्यवहार अथवा व्यावसायिक या शोषण के अन्य सभी रूप, जिसके परिणामस्वरूप जिम्मेदारी, विश्वास या शक्ति के संदर्भ में बच्चे के स्वास्थ्य, अस्तित्व, विकास या गरिमा को वास्तविक या संभावित नुकसान होता है।"*

III. बाल यौन शोषण क्या है?

- बच्चे के साथ इस तरह की कोई चेष्टा करना, जिससे उसके शरीर का कोई भाग प्रदर्शित हो
- बच्चे के निजी अंगों को इस तरीके से छूना, जिससे वह खुद को असहज या भयभीत महसूस करे
- बच्चे को यौन प्रवृत्ति के साथ स्पर्श करना
- अपने शरीर के निजी भाग, ऊँगली या किसी अन्य वस्तु से किसी बच्चे के शरीर के निजी भाग को यौन सुख की प्राप्ति हेतु स्पर्श
- नग्न लोगों या यौन सम्बन्ध रखने वाले लोगों की अश्लील सामग्री (चित्र, फिल्म, पत्रिका) बच्चे को दिखाना
- किसी बच्चे से अपने शरीर अथवा शरीर के किसी भाग को प्रदर्शित करवाना
- यौन क्रिया देखने के लिए बच्चे को मजबूर करना
- बच्चे को वेश्यावृत्ति में लगाना

IV. बाल यौन शोषण को समझना:

- बच्चे को बाल यौन शोषण की समझ नहीं है| उसके पास ऐसे मुद्दों से संबंधित ज्ञान नहीं है
- बालक की सहमति का कोई अर्थ नहीं है| बच्चा इस तरह की गतिविधियों के लिए अपनी सहमति नहीं दे सकता है| बच्चे की उम्र को एक ऐसी उम्र के रूप में माना जाता है, जिससे वह स्थिति को समझने में असमर्थ है
- कानूनों और सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करता है| यह कानून व्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक मानदंडों दोनों को प्रभावित करता है| किसी भी समाज में एक बच्चे के साथ इस तरह के हानिकारक सम्बन्ध की सराहना बिलकुल नहीं की जा सकती

V. बाल यौन शोषण के दुष्प्रभाव:

- डर - उत्पीडन के बाद अपराधी बच्चे को मजबूर कर सकता है कि ऐसी किसी भी बात को गुप्त रखे| धमकी दे सकता है कि यदि उसने इस बात को किसी को बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं| परिणाम यह होता है कि बच्चे को अपराधी से लगातार डर लगता है|

- असहायता – बाल यौन शोषण के शिकार अकसर महसूस करते हैं कि उनके पास कोई शक्ति या स्वतंत्रता नहीं है| कई बार वे यह सोचते हैं कि उनके जीवन को किसी और के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है और वे इतने समर्थ नहीं हैं कि स्थिति को बदल सकें| चरम मामलों में कई बार बच्चा उस अपमानजनक स्थिति को झेल नहीं पाता और खुद को चोट पहुँचाने की कोशिश करता है|

- दोषी महसूस करना और शर्म – पीड़ित बच्चा स्थिति को समझने में पर्याप्त सक्षम नहीं होता और उसे लगता है कि वह खुद अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार है| बाल यौन शोषण के अधिकाँश मामलों में पीड़ित को अपराधी द्वारा छोटे-छोटे लालच दिये जाते हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार के बाद अपराधी पीड़ित को इसके बारे में दोषी महसूस कराता है| बच्चा सोचता है कि यह उसकी गलती है और अकसर इसके बारे में वह शर्म और खुद को दोषी महसूस करता है|

- अलगाव – यौन शोषण का शिकार होने वाले बच्चे अकसर खुद को दोस्तों से काट लेते हैं और दूसरों के साथ अच्छे से मेल-मिलाप नहीं रख पाते| चरम मामलों में बच्चा अपने माता-पिता और भाई-बहनों सहित अपने परिवार से अलग-थलग महसूस करता है|

- विश्वासघात – एक बच्चा अपनी जरूरतों और सुरक्षा की पूर्ति के लिए वयस्कों पर निर्भर होता है| जब बच्चे के साथ यौन दुर्व्यवहार की घटना होती है, तो उसे महसूस होता है कि जिन वयस्कों पर उसको विश्वास था, या तो उन्होंने ही उसका शोषण किया है या फिर वे बच्चे को इस तरह के दुरुपयोग से बचा नहीं सके|

- गुस्सा – पीड़ित बच्चे द्वारा व्यक्त की जाने वाली सबसे सहज भावना उसका गुस्सा होता है| उन्हें अपराधी द्वारा अपने साथ किये गए दुर्व्यवहार पर बहुत गुस्सा आता है| उन्हें उन परिस्थितियों पर भी बहुत गुस्सा आता है, जब वे पाते हैं कि इस स्थिति से खुद को बचाने में वे सक्षम नहीं हैं|

- दुःख /निराशा – जिन बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ है, वे अकसर चुप हो जाते हैं, खुद को उदास/निराश महसूस करते हैं और कई बार उनमें दुःख की भावना आ जाती है| उनका ऐसा व्यवहार अधिकतर उनके सामान्य स्वभाव के विपरीत होता है| यह उन मामलों में होता है, जहाँ अपराधी बच्चे के भरोसे का व्यक्ति था या बच्चा खुद को अपराधी के बहुत करीब महसूस करता था|

- स्मृति (फ्लैशबैक) /अनिद्रा – बच्चा सोते समय या जागते समय कभी भी पिछली यादों में जा सकता है| यह बच्चे के लिए बहुत दर्दनाक हो सकता है, क्योंकि वे यादें उसे यौन शोषण या हमले की पूरी घटना की फिर से याद दिला देती हैं|

VI. बाल यौन शोषण के बारे में मिथक और तथ्य

बाल यौन शोषण की वास्तविकता को समझने के लिए मौजूद मिथकों को समझना महत्वपूर्ण है| इस अपराध के बारे में सबसे प्रचारित मिथक नीचे दिए गए हैं –

मिथक 1– यदि बच्चे के साथ यौन शोषण होता है, तो उस पर यौन हमले के लिए उसके माता-पिता/अभिभावकों की गलती है| उन्हें अपने बच्चे की रक्षा करनी चाहिए|

तथ्य – यह माता-पिता पर आरोप है| इस रवैये से अपराधी पर से दोष हटकर माता-पिता पर आ जाता है, जिससे अपराधी कार्यवाही से बच जाता है| अपराधी हमेशा वह व्यक्ति होता है, जो बाल यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार होता है|

मिथक 2 – बालकों का यौन शोषण करने वाले अपराधी ज्यादातर अजनबी होते हैं|

तथ्य - यह सच नहीं है| अनुमान है कि 70-90% मामलों में अपराधी वह है, जो बच्चे को जानता है| उनके लिए जायज तरीके से बच्चे तक पहुंचना सहज होता है|

मिथक 3 – जो लोग अपने बच्चों का यौन शोषण करते हैं, वे दूसरों के बच्चों के लिए खतरा नहीं हैं|

तथ्य – यह सच नहीं है| बाल यौन अपराधी शायद ही कभी सिर्फ एक अपराध में संलग्न हों| एक बार जो अपने बच्चे के साथ अपराध करता है, वह दूसरे के बच्चे के साथ भी अपराध कर सकता है|

मिथक 4 – बच्चे बहकावे में आकर बाल शोषण को आमंत्रित करते हैं|

तथ्य – यह पूर्णत: सच नहीं है| कोई भी बच्चा यौन उत्पीड़न नहीं चाहता| बड़ों के पास बच्चों को नियंत्रण करने की शक्ति होती है| उन्हें अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए|

मिथक 5 – केवल गरीब (निम्न आर्थिक-सामाजिक स्थिति वाले) लोगों के बच्चे ही यौन शोषण का शिकार बनते हैं|

तथ्य – यह सत्य नहीं है| यौन शोषण किसी भी बच्चे का हो सकता है| किसी भी परिवार में हो सकता है; चाहे छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित|

मिथक 6 – यौन उत्पीड़न होने पर बच्चे ने 'न' नहीं कहा और न ही उसे रोकने की कोशिश की; इसलिए बच्चे के साथ उत्पीड़न में बच्चे का भी दोष है|

तथ्य – यह सच नहीं है| उत्पीड़न के समय बच्चे जिस तनाव से गुजर रहे होते हैं, उसमें बच्चे को डराया-धमकाया जा सकता है, बच्चे को 'न' कहने से रोका जा सकता है| दोषी हमेशा अपराधी होता है; क्योंकि बच्चे सहमति देने में असमर्थ होते हैं|

मिथक 7 – बच्चे अपरिपक्व हैं और वे गलत व्याख्या करते हैं तथा गलत तरीके से किसी पर यौन शोषण का आरोप लगाते हैं|

तथ्य – यह सत्य नहीं है| बच्चों के साथ जब शोषण शुरू होता है, तो वे लंबे समय बाद इसका खुलासा करते हैं| अपराधी अकसर आकस्मिक स्पर्श या 'गुदगुदी जैसे व्यवहार' से शुरुआत करते हैं और इस तरह खुद का बचाव कर बच्चों को दोष देते हैं| बच्चा जब अपनी बात कहता है, तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए तथा गंभीरता से लिया जाना चाहिए|

मिथक 8 – बालकों का यौन शोषण नहीं किया जा सकता है|

तथ्य – यह सत्य नहीं है| आंकड़े बताते हैं कि बच्चों की कुल संख्या में उन लड़कों का प्रतिशत अधिक है, जिनका यौन शोषण हुआ है|

VII.पोक्सो क्या है?

लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ओफेंसिस एक्ट, 2012) का संक्षिप्त रूप पोक्सो है| इस अधिनियम का उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को शोषण से सुरक्षा प्रदान करना है| इस अधिनियम को 2019 में संशोधित किया गया, जो 16 अगस्त 2019 से प्रभावी हुआ| इस अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं:

- 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को इसमें शामिल किया गया है|
- लड़के और लड़कियां दोनों इसमें शामिल हैं और इसीलिए यह लिंग निरपेक्ष अधिनियम (जेंडर न्यूट्रल एक्ट) है|
- सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में बच्चों के सर्वोत्तम हित को देखते हुए अपराध की रिपोर्टिंग, अपराध की जांच, साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग, चिकित्सीय जांच, शीघ्र परीक्षण हेतु बाल मित्र प्रक्रियाएं प्रदान करता है, जिससे पीड़ित का पुन: उत्पीड़न नहीं हो|
- सबूत का भार आरोपी पर है, इसका मतलब है कि यौन उत्पीडन के मामले में जिसने अपराध किया है, उसे खुद को निर्दोष /आरोपमुक्त साबित करना है|
- रिपोर्ट करना अनिवार्य है|

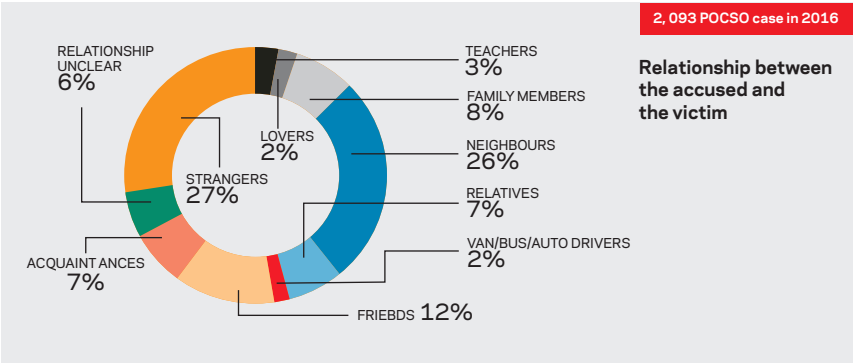

VIII. हमें पोक्सो (लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012) की आवश्यकता क्यों है?

- भारत के संविधान का ***अनुच्छेद 15 (3)*** राज्य को महिलाओं और बच्चों के हित के लिए विशेष सुविधाएं जुटाने की शक्ति प्रदान करता है – ***'भेदभाव के विरुद्ध अधिकार'*** – "इस अनुच्छेद में महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाने से राज्य को कुछ भी नहीं रोक सकता|"
- बच्चे समाज का सबसे संवेदनशील वर्ग है, इसलिए उन्हें अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है|
- आंकड़े बताते हैं कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध बढ़ रहे हैं|

Figure 1- Facebook satyarthi.org

- बाल शोषण पर अध्ययन: भारत में महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने 2007 में बाल शोषण के सम्बन्ध में एक सर्वेक्षण करवाया था, जिसमें 13 राज्यों के 13,000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया| इस अध्ययन से यह बात पता चली कि देश में 53% से अधिक बच्चे किसी न किसी रूप में यौन शोषण का शिकार हुए हैं|
- लड़कों के यौन शोषण को कवर करने के लिए कोई कानून नहीं था, क्योंकि आईपीसी की धाराएं केवल उन लड़कियों के लिए थीं, जिनके साथ बलात्कार होता था|

IX. पोक्सो के तहत अपराध और उसके लिए सजा के प्रावधान

अपराध	दंड
धारा 3 _ प्रवेशन लैंगिक हमला (पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट) एक व्यक्ति जब – 1) किसी सीमा तक बच्चे की योनि, मुँह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग प्रवेश करता है या बच्चे को उसके साथ या अन्य किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या 2) किसी सीमा तक बच्चे की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा (वेजाइना, पेनिस, एनस) में कोई वस्तु या शरीर का अंग, जो लिंग नहीं हो, प्रवेश करता है या बच्चे को उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है; या 3) बच्चे के शरीर के किसी अंग को इस तरह से काम में लेता है, जिससे कि बच्चे की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या 4) वह बच्चे के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपने मुँह को लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बच्चे से ऐसा कराता है तो ऐसा व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला (पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट) करता है|	धारा 4 _ 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा और जुर्माना (यदि बालक की अवस्था 16 वर्ष से कम है, तो कठोर कारावास, जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिससे उस व्यक्ति का शेष जीवन कारावास में बीतेगा और जुर्माना|)
धारा 5 _ उत्तेजित (गुरुतर) प्रवेशन लैंगिक हमला (एग्रेवेटिड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट) बच्चे के संरक्षण एवं देखभाल के लिए जिम्मेदार परिवार के व्यक्ति, पुलिस अधिकारी, सीमा सुरक्षा बल (सशस्त्र सेनाओं के सदस्य), डॉक्टर, अध्यापक, लोक सेवक या बाल गृह के कर्मचारी बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध करते हैं, तो उन परिस्थितियों में यह अपराध 'गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले' की श्रेणी में आता है| इसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां अपराधी बच्चे का संबंधी हो, या हमले से बच्चे के यौन अंग (सेक्सुअल ऑर्गेन्स) घायल हो जाएं या बच्ची गर्भवती हो जाए, इत्यादि। गंभीर प्रवेशन यौन हमला की परिभाषा में दो आधार और हैं- (i) हमले के कारण बच्चे की मौत, और (ii) प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया हमला।	धारा 6 _ कठोर कारावास, जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिससे उस व्यक्ति का शेष जीवन कारावास में बीतेगा और जुर्माना या मृत्युदंड| (इस तरह का जुर्माना केवल तब उचित और न्यायसंगत होगा, जब उस जुर्माने की राशि पीड़ित के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए उपयोग में आएगी|)
धारा 7 लैंगिक हमला (सेक्सुअल असाल्ट) जो कोई, लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श कराता है या लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क होता है, तो वह लैंगिक हमला करता है|	धारा 8 _ 3 साल से लेकर 5 साल तक की सजा और जुर्माना

धारा 9 _ गुरुतर लैंगिक हमला (एग्रेवेटिड सेक्सुअल असाल्ट) लैंगिक हमले का अपराध उन परिस्थितियों में 'गुरुतर लैंगिक हमले' की श्रेणी में आता है, जब अधिक तीव्रता से और कुछ निर्दिष्ट स्थितियों के तहत किया जाता है| इस अपराध के तहत 'यौन हमले' में वे कार्य शामिल हैं, जिनमें कोई व्यक्ति प्रवेश के बिना किसी बच्चे के वेजाइना, पेनिस, एनस या ब्रेस्ट को छूता है। 'गंभीर यौन हमले' में ऐसे मामले भी शामिल हैं, जिनमें अपराधी बच्चे का संबंधी होता है या जिनमें बच्चे के यौन अंग (सेक्सुअल ऑर्गेन्स) घायल हो जाते हैं, इत्यादि। गंभीर यौन हमले की परिभाषा में दो आधार और हैं- (i) प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया हमला, और (ii) जल्दी यौन परिपक्वता लाने के लिए बच्चे को हारमोन या कोई दूसरा रासायनिक पदार्थ देना या दिलवाना।	धारा 10 _ 5 साल से लेकर 7 साल तक की सजा और जुर्माना _
धारा 11 लैंगिक उत्पीड़न (सेक्सुअल हैरसमेंट) जब कोई यौन आशय से – 1) कोई शब्द/आवाज/संकेत करता है या कोई ऐसी वस्तु या शरीर का अंग प्रदर्शन करता है 2) बच्चे से उसका शरीर या उसके शरीर के किसी अंग को दिखाने को कहता है 3) अश्लील लेखन के प्रयोजनों के लिए किसी रूप में या मीडिया में बच्चे को कोई वस्तु दिखाता है 4) या तो सीधे ही या इलेक्ट्रोनिक, डिजीटल या किसी अन्य तरीके के जरिये बच्चे का बार-बार या लगातार पीछा करता है या देखता है या संपर्क करता है 5) मीडिया के किसी भी रूप में, यौन कार्य में बच्चे के शरीर के किसी अंगया बच्चे की अलिप्तता को इलेक्ट्रोनिक, फिल्म या डिजीटल या किसी अन्य तरीके के जरिये वास्तविक या काल्पनिक चित्रण का उपयोग करने की धमकी देता है 6) अश्लील साहित्य के प्रयोजनों एवं यौन संतुष्टि के लिए बच्चे को फुसलाता या लुभाता है तो वह लैंगिक उत्पीड़न (सेक्सुयल हैरसमेंट) का अपराध करता है|	धारा 12 _ 3 साल तक की सजा और जुर्माना
धारा 13 अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग अगर कोई व्यक्ति यौन सुख पाने के लिए किसी बालक का प्रयोग पोर्नोग्राफी (अश्लील साहित्य, चलचित्र या चित्र) के लिए करता है, तो ऐसा व्यक्ति किसी बालक का अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा| पोर्नोग्राफिक उद्देश्य, जैसे कि– • टी०वी० चैनल • विज्ञापन • इंटरनेट किसी इलेक्ट्रॉनिक या मुद्रित प्रारूप (प्रिंटेड फॉर्मेट) द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन (चाहे ऐसे कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं)	धारा 14 _ पहले अपराध पर पाँच साल तक की सजा और जुर्माना; दुबारा वही अपराध करने पर 7 साल तक की सजा और जुर्माना

धारा 15 _ पोर्नोग्राफी (अश्लील साहित्य, चलचित्र या चित्र) सामग्री का संग्रह जो कोई भी व्यक्ति • ऐसी किसी भी अश्लील सामग्री को जमा करते हैं या अपने पास रखते हैं, जिसमें बच्चा शामिल है और उस सामग्री को हटाने, नष्ट करने या रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं; या • जो कोई भी सामग्री को आगे प्रेषित करने या उसका प्रचार करने के लिए सामग्री जमा करते हैं, या • व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए अश्लील साहित्य को जमा करते हैं, तो वह पोर्नोग्राफी (अश्लील साहित्य, चलचित्र या चित्र) सामग्री के संग्रह का अपराध करते हैं|	धारा 16 _ • पहले अपराध पर 5,000 रुपए का जुर्माना और दूसरे अथवा उसके बाद अपराध किए जाने पर 10, 000 रुपए का जुर्माना • जुर्माने के साथ-साथ तीन साल तक के कारावास की सज़ा • पहले अपराध पर तीन से पाँच साल तक की सजा; दुबारा वही अपराध करने पर 7 साल तक की सजा
धारा 17_ किसी अपराध के लिए उकसाना – उपरोक्त किसी भी अपराध के लिए उकसाना भी एक अपराध है| यदि कोई दुष्प्रेरित काम उकसाने के बाद किया जाता है, तो यह दंडनीय है	उस सज़ा के लिए दंडित किया जाएगा, जो उस अपराध के लिए प्रदान की गई है
धारा 18_ किसी अपराध को करने का प्रयास – जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयास करता है या किसी अपराध को करवाता है और ऐसे प्रयास में अपराध करने हेतु कोई कार्य करता है, तो यह दंडनीय है	ऐसी अवधि के लिए कारावास, जो आजीवन कारावास के आधे तक का हो सकेगा या उस अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक का हो सकेगा या जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित
धारा 21 – इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत होने वाले किसी अपराध की सूचना नहीं देना	छह महीने तक के कारावास और/ या जुर्माने से दंडित किया जाएगा

धारा 22 – कोई व्यक्ति, जो धारा 3 (प्रवेशन लैंगिक हमला), धारा 5 (गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला), धारा 7 (लैंगिक हमला, धारा 9 (गुरुतर लैंगिक हमला) के अधीन किये गए किसी अपराध के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसको अपमानित करने, धमकाने या उसकी मानहानि करने के उद्देश्य से उसके बारे में झूठ बोलेगा या झूठी सूचना देगा i. यदि झूठी शिकायत दर्ज करने वाला व्यक्ति बच्चा है, तो ऐसे बच्चे पर कोई दंड नहीं लगाया जाएगा ii. जो कोई बालक नहीं होते हुए भी, किसी बालक के विरुद्ध कोई झूठी बात बोलेगा या यह जानते हुए भी कि उसकी सूचना झूठी है, वह यह झूठी सूचना देगा, जिसके कारण इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध में ऐसा बालक पीड़ित होगा, दंडनीय है।	छह मास तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित ऐसा व्यक्ति एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा
धारा 23 – कोई व्यक्ति, जो बालक के संबंध में किसी भी प्रकार की रिपोर्ट या टीका-टिप्पणी करता है, जिससे बच्चे की प्रतिष्ठा का हनन या उसकी गोपनीयता का उल्लंघन होता है या मीडिया की किसी भी रिपोर्ट से बच्चे की पहचान, जैसे कि – नाम, पता, चित्र, पारिवारिक विवरण, विद्यालय, पड़ोस या अन्य किसी भी विवरण का खुलासा होता है,	छह मास से एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित

X. निम्न स्थितियों में इस तरह के अपराध की गंभीरता बढ़ जाती है –

- जब कोई व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग कर अपने संरक्षण में रह रहे बच्चे के साथ ऐसा करे, जैसे कि – एक पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बलों या सुरक्षा बलों का सदस्य, लोक सेवक, प्रबंधन या जेल का स्टाफ, रिमांड होम, संरक्षण गृह (प्रोटेक्शन होम), प्रेक्षण गृह (ऑब्जर्वेशन होम) या अन्य बाल कल्याण संस्था (चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन), अस्पताल, शैक्षिक या धार्मिक संस्थान के कर्मचारी|
- सामूहिक हमले से - जब एक से अधिक व्यक्ति सामूहिक रूप से बच्चे पर ह्मला करें| ऐसे मामलों में प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के समय समूह का हिस्सा था, उनके साथ इसी तरह से व्यवहार किया जाएगा, मानो उन्होंने अकेले हमला किया है|
- घातक हथियारों का उपयोग करके हमला करना|
- बच्चों के यौन अंगों को गंभीर चोट/क्षति या नुकसान पहुँचाना|
- इस तरह का कोई भी अपराध, जो बच्चे को शारीरिक रूप से अक्षम कर दे या मानसिक रूप से बीमार कर दे|
- इस तरह के अपराध से बच्चे को एचआईवी या अन्य जानलेवा बीमारियों का खतरा होना|
- अपराधी द्वारा बच्चे की मानसिक या शारीरिक विकलांगता का लाभ उठाना|
- अपराधी द्वारा एक से अधिक बार या बार-बार इस तरह का अपराध करना|
- 16 साल से कम उम्र के बच्चे पर यौन हमला होना|
- बच्चे के किसी रिश्तेदार के माध्यम से इस प्रकार का अपराध किया जाना| रिश्तेदार से बच्चे की रिश्तेदारी रक्त संबंधों/दत्तक/विवाह/ संरक्षकता या पालक देखभाल (फोस्टर केयर) आदि माध्यमों से हो सकती है|
- यौन हमले के बाद बालिका का गर्भवती हो जाना या गर्भवती बालिका के साथ 'प्रवेशन' अपराध करना
- दुर्व्यवहार के बाद बच्चे की हत्या करने का प्रयास भी किया जाना|
- सांप्रदायिक दंगों का लाभ उठाकर बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया जाना|
- इस तरह के अपराध के बाद बच्चे को सार्वजनिक रूप से नग्न किया जाना तथा नग्न अवस्था में उसे सार्वजनिक रूप से घुमाया जाना|

XI. उकसाने और अपराध करने के प्रयास का क्या अर्थ है?

- किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के लिए बहकाना|
- साजिश में एक या एक से अधिक व्यक्तियों का शामिल होना|
- जानबूझ कर अपराध करने में सहायता प्रदान करना|
- अपराध समान भाव और गंभीरता से किया जाना (धारा 16)|

- उकसाने के तहत यौन उत्पीडन के लिए बच्चों की ट्रैफिकिंग (धारा 16, स्पष्टीकरण III)|
- किसी अपराध को करने का प्रयास, उस अपराध के लिए निर्धारित सजा की आधी सजा से दंडनीय है|

XII. कहाँ रिपोर्ट करें

- चाइल्ड लाइन – 1098
  - o चाइल्ड लाइन भारत में बच्चों के संरक्षण हेतु 24/7 (चौबीस घंटे के लिए) एक आपातकालीन टेलीफोन सेवा है| इस सेवा को दीर्घकालिक देखभाल और पुनर्वास सेवाओं से जोड़ा गया है|
  - o संकट होने पर कोई भी बच्चा या बच्चे की ओर से कोई भी वयस्क 1098 नंबर पर फ़ोन कर सकता है|
  - o 1098 याद रखने में आसान है तथा टोल फ्री नंबर (मुफ्त) है|

- पुलिस – 100
  - o यदि जिले में स्थानीय पुलिस स्टेशन या विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस०जे०पी०यू०) उपलब्ध है, तो मामले को वहां भी दर्ज किया जा सकता है|

XIII.विशेष अदालत के लिए बाल मित्र प्रक्रियाएं

- परीक्षण के दौरान बच्चे को लगातार विराम देना चाहिए|
- बच्चे को गवाही देने के लिये बार-बार नहीं बुलाया जाना चाहिए|
- परिवार के सदस्यों/माता-पिता/दोस्त को उपस्थित होने की अनुमति देकर बाल मित्र माहौल बनाना चाहिए|
- बच्चे से कोई आक्रामक पूछताछ या उनके चरित्र की हत्या नहीं करना चाहिए|
- मामलों की सुनवाई बंद कमरे में (इन-कैमरा परीक्षण) होनी चाहिए|
- बच्चे की गवाही 30 दिनों के भीतर दर्ज की जानी चाहिए|
- सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे की गरिमा का खुलासा नहीं किया गया है|
- न्यायालय को सजा के अलावा बच्चे को मुआवजे का भुगतान भी करना चाहिए|
- जहाँ तक संभव हो, परीक्षण एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाना चाहिए|

XIV. रोकथाम:

- रोकथाम की दिशा में पहला कदम यौन मुद्दों पर चर्चा के लिए विश्वास, गोपनीयता व खुलेपन का माहौल बनाना है|
- स्कूल आधारित रोकथाम कार्यक्रम द्वारा बाल यौन मुद्दों पर अधिक से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके बच्चों तथा किशोरों को सुरक्षित रहना सिखाना|
- सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में बच्चों और किशोरों को सिखाना कि उन्हें 'गुड टच' और 'बैड टच' को कैसे पहचानना है या यदि उनके साथ या उनके ज्ञान में किसी और के साथ ऐसा होता है, तो उसे क्या करना चाहिए|
- बच्चों और किशोरों को यौन शोषण के मामलों की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया के बारे में सिखाना, ताकि अपराधियों को पकड़ लिया जाये और वे अधिक बच्चों को निशाना न बनाएं|
- बाल यौन शोषण के मिथकों और तथ्यों के बारे में समाज में जागरूकता पैदा करना|
- बाल यौन शोषण के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए माता-पिता अपने बच्चों के साथ तालमेल बना सकें, इस हेतु माता-पिता को संवेदनशील बनाना|
- बाल यौन शोषण को पहचानने और इससे निपटने के लिए माता-पिता को प्रशिक्षित करना|

XV. हम क्या कर सकते हैं?

i) माता-पिता और बच्चे

बच्चों को शारीरिक सुरक्षा के नियम सिखाएं

नियम 1 – वस्त्र नियम

मैं अपने निजी अंगों को दूसरे के सामने ढक कर रखता हूँ| यद्यपि हम अपना मुँह नहीं ढकते हैं; यह भी निजी है|

- पुलिस को लिखित में बयान दर्ज करना होगा|
- शिकायतकर्ता या सूचना देने वाले को एक प्रविष्टि संख्या दी जायेगी|
- शिकायतकर्ता या सूचना देने वाले को सूचना पढ़कर सुनाई जायेगी|
- एक प्राथमिकी (एफ०आई०आर०) दर्ज की जानी चाहिए और इसकी प्रति शिकायतकर्ता या सूचना देने वाले को नि:शुल्क सौंपी जानी चाहिए|

XVI. कौन रिपोर्ट कर सकता है?

कोई व्यक्ति, जिसे यह आशंका है कि कोई अपराध किए जाने की संभावना है या वह यह जानकारी रखता है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, तो वह इस मामले की रिपोर्ट कर सकता है|

- मीडिया या होटल या लॉज या अस्पताल या क्लब या स्टूडियो या फोटोचित्रण सम्बन्धी सुविधाओं के कर्मचारी यदि यह पाते हैं कि कोई बच्चे के अश्लील या लैंगिक उत्पीड़न में या बच्चों के लैंगिक शोषण से संबंधित कार्य (जिसमें अश्लील साहित्य, लिंग सम्बन्धी या बालक या बालकों का अश्लील प्रदर्शन करना भी है) में शामिल है, तो उनके लिए यह बाध्यता है कि वे इस बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे|
- इस तरह के किसी अपराध की रिपोर्ट न करने वाले व्यक्ति को छह माह तक के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है|
- यह जुर्माना किसी बच्चे पर नहीं लगाया जा सकता|

XVII. बाल मित्र प्रक्रियाएं

नियम 2 – स्पर्श करने के नियम

मैं अपने निजी भागों को दूसरों के सामने उजागर नहीं करता|

नियम 3 – बात करने के नियम

मैं भरोसेमंद बड़ों के साथ निजी अंगों के बारे में बात करता हूँ, जैसे कि माँ| मैं सवाल पूछता हूँ और उनके साथ शरीर के इन हिस्सों के बारे में चर्चा करता हूँ|

नियम 4 – फ़ोन और कंप्यूटर नियम (बड़े बच्चों के लिए)

उपरोक्त सभी तीन नियम ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन भी लागू होते हैं

- जब बच्चा इंटरनेट से जुड़े फ़ोन या कंप्यूटर का उपयोग कर रहा होता है, तो बच्चों को बताएं कि इंटरनेट पर कुछ लोग बच्चों को परेशान करने के लिए किसी और के होने का दिखावा करते हैं| वे अपने बारे में झूठ बताते हैं और झूठी जानकारी या तसवीरें देते हैं|
- अजनबियों से बात या दोस्ती न करें|
- किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने न जायें, जिसे आप केवल ऑनलाइन जानते हैं, भले ही वह व्यक्ति आपको पसंद करता हो या आपसे बड़े-बड़े वादा करता हो|
- इंटरनेट पर सुरक्षित और सम्मानजनक संबंध बनाये रखना आवश्यक है| ऑनलाइन होने पर किसी को भी अपना नाम, पता, स्कूल का नाम या पासवर्ड न दें|

ii) सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता (सीएसडब्ल्यू)

- सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता (सीएसडब्ल्यू) को बाल यौन शोषण और पोक्सो अधिनियम की अच्छी समझ होनी चाहिए|
- सीएसडब्ल्यू समुदाय के सदस्य बच्चों, माता-पिता और समुदाय को बाल यौन उत्पीड़न तथा बच्चों पर इसके गंभीर दुष्परिणामों के बारे में जागरूक कर सकते हैं|
- बाल यौन शोषण के मुद्दे के बारे में समुदाय में जागरूकता को बढ़ाने के लिए सीएसडब्ल्यू पंचायत का समर्थन ले सकते हैं और उनके सहयोग से ग्राम स्तर पर जागरूकता अभियान कर सकते हैं|
- बाल यौन शोषण के किसी मामले में पीड़ित परिवार या बच्चे का समर्थन कर सकते हैं|
- व्यथित बच्चे और परिवार को समुदाय में बसने में मदद कर सकते हैं|
- यौन शोषण से पीड़ित बच्चे के शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को जानने के लिए फॉलो-अप (अनुसरण) कर सकते हैं, बच्चे और परिवार से संपर्क रखकर उसके लिए चिकित्सीय परीक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं तथा परामर्श/चिकित्सा सत्र निर्धारित कर सकते हैं|

NOTES

SATYARTHI
KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

ए -23, फ्रेंड्स कॉलोनी (वेस्ट), नई दिल्ली -110065
ई-मेल: info@satyarthi.org.in | वेबसाईट: www.satyarthi.org.in

बाल शोषण के खिलाफ शिकायत करें

1800-102-7222 (Toll-Free)